



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274628
CG-DL-E-20072026-274628

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948

No. 207]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

सं. 20/2026-27

विषय: भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) के तहत टीआरक्यू को शामिल करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.92 और परिशिष्ट-2क में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/07/एएम-26/पीसी-2(ए)/ई-46336.— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 2.92 और परिशिष्ट-2क में भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के लिए उल्लिखित मदों और संबंधित प्रावधानों को शामिल करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

2. एचबीपी, 2023 के पैरा 2.92 को संशोधित करने हेतु भारत-ओमान सीईपीए के तहत निम्नलिखित वार्षिक आयात टीआरक्यू को शामिल किया गया है:

एचएस कोड	विवरण	एमएफएन दर	टीआरक्यू कार्यरिति
08041010	खजूर, ताजा	30%	2,000 टन तक के टीआरक्यू के साथ टीइआइ (दोनों लाइनों के लिए कुल मिलाकर)
08041090	खजूर, अन्य	30%	
25151210	-मार्बल और ट्रेवर्टिन: --- ब्लॉक्स	40%	25% तक टीआर, 150 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी का एमआइपी और 100 केटीए का अधिकतम आयात कोटा
25151220	-मार्बल और ट्रेवर्टिन: --- स्लैब	40%	25% तक टीआर, 25 अमरीकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर का एमआइपी और प्रति वर्ष 1.5 एमएन वर्ग मीटर का अधिकतम आयात कोटा
29053100	एथिलीन ग्लाइकॉल (एथेनडिओल)	5%	5 वर्षों में 50% का टीआर (150 केटीए का टीआरक्यू)
38170011	लीनियर एल्काइलबेंजीन	7.5%	टीआरक्यू के साथ 5 वर्षों में 50% का टीआर (सी वाइ 2018, 19, 21 के लिए 3 वर्षों का औसत आयात)
38170019	एल्काइलबेंजीन (मिश्रित), अन्य	7.5%	
39011010	एलएलडीपीई — एथिलीन मोनोमर कुल पॉलीमर सामग्री के वजन का $\geq 95\%$ हिस्सा	7.5%	5 वर्षों में 50% का टीआर (1 वर्ष में 75 केटी के साथ 7 वर्षों में चरणबद्ध 7 टीएल हेतु 150 केटीए का कुल टीआरक्यू)
39011020	लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन (एलडीपीई)	7.5%	
39011090	अन्य	7.5%	
39012000	0.94 या उससे अधिक विशिष्ट ग्रेविटी वाली पॉलीइथिलीन	7.5%	
39014010	एलएलडीपीई - एथिलीन मोनोमर कुल पॉलीमर सामग्री के वजन का $< 95\%$ हिस्सा	7.5%	
39014090	अन्य	7.5%	
39019000	अन्य	7.5%	
39021000	पॉलिप्रोपीलीन	7.5%	5 वर्षों में 50% टीआर (7 वर्षों में चरणबद्ध 3 टीएल के लिए 75 केटीए का कुल टीआरक्यू)
39023000	प्रोपिलीन कोपॉलिमर	7.5%	
39029000	अन्य	7.5%	
39022000	पॉली आइसो-ब्यूटिलीन	7.5%	7 वर्षों में टीआर (3 वित्तीय वर्षों के औसत वॉल्यूम का 125% तक टीआरक्यू)
39031100	एक्सपेंसिबल	7.5%	टीआरक्यू के साथ 5 वर्षों में 50% टीआर (सी वाइ 2018, 19, 21 के लिए 3 वर्षों का औसत आयात)
39031910	मॉल्लिंग पाउडर	7.5%	
39031990	अन्य	7.5%	
39033000	एक्रिलोनाइट्राइल-ब्यूटाडाइन-स्टाइरीन (एबीएस) कोपॉलिमर	7.5%	
39041010	पिगमेंट के लिए बाइंडर	10%	टीआरक्यू के साथ 5 वर्षों में 50% टीआर (सी वाइ 2018, 19, 21 के लिए 3 वर्षों का औसत आयात)

39041020	सस्पेंशन ग्रेड पीवीसी रेज़िन	10%	टीआरक्यू के साथ 5 वर्षों में 50% टीआर (सीवाइ 2018, 19, 21 के लिए 3 वर्ष का औसत आयात)
39041090	अन्य	10%	
39042100	नॉन प्लास्टिसाइज़्ड	10%	
39042200	प्लास्टिसाइज़्ड	10%	
39043010	पॉली (विनाइल डेरिवेटिव्स)	10%	
39043090	अन्य	10%	
39044000	अन्य विनाइल क्लोराइड कोपॉलिमर	10%	
39046910	पॉली(विनाइल फ्लोराइड) — इस अध्याय के नोट 6(ख) में बताए गए रूपों में से एक में	7.5%	
39049010	क्लोरीनेटेड पॉली विनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेज़िन	10%	
39049090	अन्य	7.5%	टीआरक्यू के साथ 5 वर्षों में 50% का टीआर (5 वर्षों में चरणबद्ध 39076110, 39076190, 39076930 के लिए कुल 10 केटी)
39076110	पीईटी फ्लेक (चिप) —78 एमएल/जी या उससे अधिक की विस्कसिटी संख्या	7.5%	
39076190	अन्य प्राथमिक रूप	7.5%	
39076930	पीईटी फ्लेक (चिप)	7.5%	
39095000	पॉलीयुरेथेन	7.5%	टीआरक्यू के साथ 5 वर्षों में 50% टीआर (सी वाइ 2018, 19, 21 के लिए 3 वर्ष का औसत आयात)
68022110	मार्बल ब्लॉक/टाइल्स	40%	3 वर्ष में टीआर 25% (तीनों प्रशुल्क लाइनों के लिए 1.5 एमएन वर्ग मीटर का कुल टीआरक्यू)
68022120	मार्बल मॉन्यूमेंटल स्टोन	40%	
68022190	अन्य	40%	
74081110	कॉपर वेल्ड वायर (डाएमीटर >6 एमएम)	5%	5 वर्षों में टीईपी (3-वर्षीय मूविंग एवरेज वॉल्यूम का 150% टीआरक्यू)
74081190	अन्य	5%	
74081910	कॉपर वेल्ड वायर (डाएमीटर ≤6 mm)	5%	
74081920	वेल्डिंग वायर	5%	
74081990	अन्य	5%	
76011010	इंगॉट (एल्युमीनियम, बिना गढ़ा हुआ, अमिश्रित धातु वाला)	7.5%	टीआरक्यू के साथ 10 वर्षों में टीईपी (वर्ष 1 से 3 के लिए पिछले 3 वर्षों का औसत आयात; वर्ष 4 से आगे पिछले 3 वर्षों के टीआरक्यू उपयोग का 115%)
76012010	इंगॉट (एल्युमीनियम मिश्र धातु, बिना गढ़ा हुआ)	7.5%	
76012020	बिलेट्स(एल्युमीनियम मिश्र धातु, बिना गढ़ा हुआ)	7.5%	
76051100	एल्युमीनियम वायर (अमिश्रित धातु वाला) — क्रॉस-सेक्शनल डाइमेंशन 7 एमएम से अधिक	7.5%	

टीईआई = टैरिफ को तुरंत खत्म करना | टीईपी = टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना | टीआर = टैरिफ में कटौती | टीआरक्यू = टैरिफ दर कोटा | केटीए = प्रति वर्ष किलो टन

3. आयात, भारत-ओमान सीईपीए से संबंधित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/2026-सीमा शुल्क दिनांक 31 मई, 2026 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन होगा।
4. आयातित खेप के सीमा शुल्क निकासी के समय, भारत में आयातक को ओमान में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'उद्गम प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करना होगा।
5. इन आयातों के लिए वर्ष की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि अर्थात् भारत में वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाएगी।
6. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र प्रदान करने के लिए सभी आवेदन पत्र डीजीएफटी की वेबसाइट (<https://dgft.gov.in>) पर ऑनलाइन माध्यम से --> इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम --> टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाएंगे।
7. आवेदन पत्र अपेक्षित शुल्क के साथ, ऑनलाइन जमा करना होगा। वित्तीय वर्ष 2027-28 और उसके बाद के वर्षों के लिए वार्षिक आवंटन हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, उससे पहले वाले वित्त वर्ष की 28 फरवरी होगी।
8. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, टीआरक्यू आवेदन जमा करने की आवेदन विंडो की जानकारी एक अलग सार्वजनिक सूचना के माध्यम से दी जाएगी। यह जानकारी समझौते के लागू होने की तारीख से वित्त वर्ष के बचे हुए समय के लिए आनुपातिक आधार पर पात्र कोटा मात्रा के आवंटन के लिए होगी।
9. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र में ये जानकारी शामिल होगी: आयातक का नाम और पता, आयातक-निर्यातक कोड (आईसीटी), सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या, लागू प्रशुल्क मद, मात्रा और प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि।
10. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा और इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस) को भेजा जाएगा।
11. टीआरक्यू के तहत आयात की अनुमति तभी दी जाएगी जब आईसीईएस सिस्टम में अधिकृत मात्रा का इलेक्ट्रॉनिक डेबिट हो जाएगा।
12. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र अधिकतम 12 महीने की अवधि या वित्त वर्ष के अंत तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। टीआरक्यू प्राधिकार पत्र के तहत आयात को केवल टीआरक्यू प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि के दौरान ही भारतीय सीमा शुल्क से मंजूरी मिल सकती है।
13. भारत-ओमान सीईपीए के तहत टीआरक्यू आयात के लिए आवेदन की प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक VIII में समाविष्ट की जाएगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: भारत-ओमान सीईपीए के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन की प्रक्रिया की सूचना इसके द्वारा दी जा रही है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 13th July, 2026

No. 20/2026-27

Subject: Amendments under Para 2.92 and Appendix-2A of Handbook of Procedure 2023 for inclusion of TRQs under India – Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) -reg.

F. No. 01/89/180/07/AM-26/PC-2(A)/E-46336.— In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 read with 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby amends Para 2.92 and Appendix-2A of the Handbook of Procedure, 2023 to incorporate the items mentioned and related provisions for Tariff Rate Quota (TRQ) under India – Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) as follows:

2. Para 2.92 of the HBP, 2023, is amended to include the following annual Import TRQs under India-Oman CEPA:

HS Code	Description	MFN Rate	TRQ Modality
08041010	Dates, Fresh	30%	TEI with TRQ of up to 2,000 tonnes (cumulative for both lines)
08041090	Dates, Other	30%	
25151210	-Marble and travertine : --- Blocks	40 %	TR to 25 %, MIP of USD 150 per MT and maximum import quota of 100 KTA
25151220	-Marble and travertine : --- Slabs	40 %	TR to 25 %, MIP of USD 25 per sq mtr and maximum import quota of 1.5 mn sq mtr per annum
29053100	Ethylene Glycol (Ethanediol)	5%	TR of 50% phased in 5 years (TRQ of 150 KTA)
38170011	Linear Alkylbenzenes	7.5%	TR of 50% over 5 years with TRQ (3-year average import for CY 2018, 19, 21)
38170019	Alkylbenzenes (mixed), Other	7.5%	
39011010	LLDPE — Ethylene monomer contributes $\geq 95\%$ by weight of total polymer content	7.5%	TR of 50% over 5 years (Cumulative TRQ of 150 KTA for 7 TLs phased over 7 years with 75 KT in Year 1)
39011020	Low Density Polyethylene (LDPE)	7.5%	
39011090	Other	7.5%	
39012000	Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more	7.5%	
39014010	LLDPE — Ethylene monomer contributes $< 95\%$ by weight of total polymer content	7.5%	
39014090	Other	7.5%	
39019000	Other	7.5%	
39021000	Polypropylene	7.5%	TR of 50% over 5 years (Cumulative TRQ of 75 KTA for 3 TLs phased over 7 years)
39023000	Propylene Copolymers	7.5%	
39029000	Other	7.5%	
39022000	Poly Iso-Butylene	7.5%	TR over 7 years (TRQ up to 125% of 3 FY average volume)
39031100	Expansible	7.5%	TR of 50% over 5 years with TRQ (3-year average import for CY 2018, 19, 21)
39031910	Moulding Powder	7.5%	
39031990	Other	7.5%	
39033000	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Copolymers	7.5%	
39041010	Binders for Pigments	10%	TR of 50% over 5 years with TRQ (3-year average import for CY 2018, 19, 21)
39041020	Suspension Grade PVC Resin	10%	
39041090	Other	10%	
39042100	Non-Plasticised	10%	
39042200	Plasticised	10%	
39043010	Poly(Vinyl Derivatives)	10%	
39043090	Other	10%	
39044000	Other Vinyl Chloride Copolymers	10%	

39046910	Poly(Vinyl Fluoride) — in one of the forms mentioned in Note 6(b) to this Chapter	7.5%	TR of 50% over 5 years with TRQ (cumulative 10 KT for 39076110, 39076190, 39076930 phased over 5 years)
39049010	Chlorinated Poly Vinyl Chloride (CPVC) Resin	10%	
39049090	Other	7.5%	
39076110	PET Flake (Chip) — viscosity number of 78 ml/g or higher	7.5%	
39076190	Other Primary Form	7.5%	
39076930	PET Flake (Chip)	7.5%	TR of 50% over 5 years with TRQ (3-year average import for CY 2018, 19, 21)
39095000	Polyurethanes	7.5%	
68022110	Marble Blocks/Tiles	40%	TR to 25% in 3 years (Cumulative TRQ of 1.5 mn sq.mtr for the three Tariff Lines)
68022120	Marble Monumental Stone	40%	
68022190	Other	40%	
74081110	Copper Weld Wire (diameter >6 mm)	5%	TEP over 5 years (TRQ of 150% of 3-year moving average volume)
74081190	Other	5%	
74081910	Copper Weld Wire (diameter ≤6 mm)	5%	
74081920	Welding Wire	5%	
74081990	Other	5%	
76011010	Ingots (Aluminium, unwrought, not alloyed)	7.5%	TEP over 10 years with TRQ (preceding 3-year moving average imports for Years 1 to 3; 115% of preceding 3 years TRQ utilization from Year 4 onwards)
76012010	Ingots (Aluminium alloys, unwrought)	7.5%	
76012020	Billets (Aluminium alloys, unwrought)	7.5%	
76051100	Aluminium wire (not alloyed) — cross-sectional dimension exceeds 7 mm	7.5%	

TEI = Tariff Elimination Immediate | TEP = Tariff Elimination Phased | TR = Tariff Reduction | TRQ = Tariff Rate Quota | KTA = Kilo Tonnes per Annum.

3. Import would be subject to the relevant Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 20/2026-Customs dated 31st May, 2026 (as amended from time to time) relating to India-Oman CEPA.

4. At the time of clearance of the import consignment, the importer in India shall produce a Certificate of Origin issued by the competent authority in Oman.

5. The year for the purposes of these imports shall be the period from 1st April to 31st March, i.e., the financial year in India.

6. All applications for grant of TRQ authorisations shall be submitted online through the DGFT website (<https://dgft.gov.in>) --> under Import Management System --> Tariff Rate Quota (TRQ)

7. The application, along with the requisite fee, shall be filed online. The last date for submission of applications for annual allocation for FY 2027-28 and onwards shall be 28th February of the preceding financial year.

8. For the Financial Year 2026-27, the details of the application window for filing TRQ applications will be communicated through a separate Public Notice for allocation of the eligible quota quantity on a pro-rata basis for the remaining part of the Financial Year, reckoned from the date of entry into force of the Agreement.

9. The TRQ authorisation shall contain the following particulars: the name and address of the importer, Importer-Exporter Code (IEC), Customs notification number, applicable tariff item, quantity, and validity period of the authorisation.

10. The TRQ authorisation shall be issued electronically by the Directorate General of Foreign Trade and transmitted to the Indian Customs Electronic Data Interchange System (ICES).

11. Imports against the TRQ shall be allowed only upon electronic debit of the authorised quantity in the ICES system.

12. The TRQ authorisation shall be valid for a maximum period of 12 months or till the end of the Financial Year, whichever is earlier. Imports under a TRQ authorisation may be cleared through Indian Customs only during the validity period of the TRQ authorisation.

13. Procedure for application for imports under TRQ under India-Oman CEPA, as enumerated above, shall be incorporated as Annexure VIII to Appendix 2A of the Handbook of Procedures 2023.

Effect of this Public Notice: The procedure for allocation of Tariff Rate Quotas (TRQs) under the India-Oman CEPA is hereby notified.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade And Addl. Secy.